न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1131/2025

अनवान : –

1. सिद्धार्थ पुत्र संदीप नाबालिग जरिये कुदरती बली माता ममता पत्नी संदीप जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
2. नियति पुत्री संदीप चौधरी नाबालिग जरिये कुदरती बली माता ममता पत्नी संदीप जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।

– वादी

बनाम्

1. कृष्णा चौधरी पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया हाल सुलतान नगर दिल्ली।
2. संदीप पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
3. कविता पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
4. पूजा पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
5. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. उप पंजीयक रामगढ़/नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 04/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 7 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 152/152 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 5.9200 है0 भूमि में से 1973/2960 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दुखानदान होने के कारण से उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1, 3 व 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 1 ता 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण की दादी है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 को उपरोक्त भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है लेकिन प्रतिवादीया संख्या 1 वादीगण को उनके हक हिस्सा से वंचित करने के लिए बिना जायज जरूरत के भू माफिया किस्म के लोगो को बेचान करना चाहती है। प्रतिवादी संख्या 1 समस्त भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करना चाहती है तथा भूमि को रहन बैय करने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की सरेआम धमकी देती है यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपनी योजना में कामयाब हो जाती है तो वादीगण के साथ घोर अन्याय होगा भूखा मरने की नोबत आ जायेगी तथा वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी सुरत में सम्भव नहीं हैं इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने की अधिकारी है कि वादग्रस्त कृषि भूमि रोही मौजा 7 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 152/152 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 5.9200 है0 भूमि में से 1973/2960 हिस्सा भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे एवं वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण संख्या 1, 3 व 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 1 ता 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 4 को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दुखानदान होने के कारण से उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1, 3 व 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 1 ता 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण की दादी है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 को उपरोक्त भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है लेकिन प्रतिवादीया संख्या 1 वादीगण को उनके हक हिस्सा से वंचित करने के लिए बिना जायज जरूरत के भू माफिया किस्म के लोगो को बेचान करना चाहती है। प्रतिवादी संख्या 1 समस्त भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करना चाहती है तथा भूमि को रहन बैय करने की सरेआम धमकी देती है यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपनी योजना में कामयाब हो जाती है तो

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण के साथ घोर अन्याय होगा भूखा मरने की नोबत आ जायेगी तथा वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी सुरत में सम्भव नहीं हैं इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने की अधिकारी है कि वादग्रस्त कृषि भूमि रोही मौजा 7 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 152/152 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 5.9200 है0 भूमि में से 1973/2960 हिस्सा भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे एवं वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण संख्या 1, 3 व 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 1 ता 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 7 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 152/152 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 5.9200 है0 भूमि में से 1973/2960 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दुखानदान होने के कारण से उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1, 3 व 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 1 ता 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण की दादी है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 को उपरोक्त भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है लेकिन प्रतिवादीया संख्या 1 वादीगण को उनके हक हिस्सा से वंचित करने के लिए बिना जायज जरूरत के भू माफिया किस्म के लोगो को बेचान करना चाहती है। प्रतिवादी संख्या 1 समस्त भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करना चाहती है तथा भूमि को रहन बैय करने की सरेआम धमकी देती है यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपनी योजना में कामयाब हो जाती है तो वादीगण के साथ घोर अन्याय होगा भूखा मरने की नोबत आ जायेगी तथा वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी सुरत में सम्भव नहीं हैं इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने की अधिकारी है कि वादग्रस्त कृषि भूमि रोही मौजा 7 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 152/152 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 5.9200 है0 भूमि में से 1973/2960 हिस्सा भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करे तथा मौका व

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे एवं वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण संख्या 1, 3 व 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 1 ता 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा पत्रावली मे दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अत वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 152/152 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 5.9200 है0 भूमि में से 1973/2960 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय प्रतिवादी स0 संख्या 1, 3 व 4 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 1 ता 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1131/2025

अनवान : –

1. सिद्धार्थ पुत्र संदीप नाबालिग जरिये कुदरती बली माता ममता पत्नी संदीप जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।
2. नियति पुत्री संदीप चौधरी नाबालिग जरिये कुदरती बली माता ममता पत्नी संदीप जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।

– वादी

बनाम्

1. कृष्णा चौधरी पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया हाल सुलतान नगर दिल्ली।
2. संदीप पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
3. कविता पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
4. पूजा पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
5. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. उप पंजीयक रामगढ़/नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1131 सन 2025 निर्णय दिनांक 04/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 152/152 के कुल खसरे 29 की कुल तादादी 5.9200 है0 भूमि में से 1973/2960 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय प्रतिवादी स0 संख्या 1, 3 व 4 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 1 ता 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर